कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग जिला नारायणपुर (छ०ग०)
दुरभाष : (07781) 252216–कार्यालय, 252215–फैक्स
Email : narayanpur.cg@nic.in, dmnpur@yahoo.com

क्रमांक / 161 / कलेक्टर / भू–अर्जन शाखा / 2026 नारायणपुर, दिनांक 13 / 06 / 2025

/ /अधिसूचना/ /

भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :–

जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल	लोक प्रयोजन का विवरण
नारायणपुर	नारायणपुर	कुम्हारीबेड़ा (धुरबेड़ा)	150.00 वर्गमीटर	नारायणपुर एवं छोटेडोंगर तहसील अंतर्गत बड़गांव–धूरबेड़ा–ताड़ोनार से नारायणपुर जिला मुख्यालय तक 21.00 कि.मी लम्बाई मार्ग का निर्माण कार्य।

उपरोक्त उल्लिखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 18 / 07 / 2025 तक प्रातः 10:00 बजे से संध्या 5:30 बजे **अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी नारायणपुर के कक्ष क्रमांक – 12** पर नियत की गई है। प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :–

(एक) **<u>लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण</u>** – नारायणपुर एवं छोटेडोंगर तहसील अंतर्गत बड़गांव–धूरबेड़ा–ताड़ोनार से नारायणपुर जिला मुख्यालय तक 21.00 कि.मी लम्बाई मार्ग का निर्माण कार्य।

(दो) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या – 01

(तीन) अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या – 0

(चार) प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसंपत्तियों की अनुमानित संख्या – 0

(पॉच) प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसंपत्तियों की अनुमानित संख्या – 0

(छः) क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है – 01

(सात) क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है – हां ।

(आठ) (प्रभावित ग्राम कुम्हारीबेड़ा, परपा, ताड़ोनार, गोटाबेनूर) परियोजना की कुल लागत – 3204.84 लाख।

(नौ) परियोजना से होने वाला लाभ – परियोजना के पूर्ण होने पर तहसील छोटेडोंगर/ओरछा क्षेत्र के ग्रामीणों को जिला मुख्यालय नारायणपुर हेतु कम लम्बाई की पंहुच मार्ग/सुगम यातायात सुविधा प्राप्त होगी। लौह अयस्क परिवहन मुक्त यातायात सुविधा हेतु ग्रामीणों को मार्ग उपलब्ध होगी।

(दस) प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय–5.00 लाख

(ग्यारह) परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक – 0

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी।

कलेक्टर
जिला नारायणपुर (छ.ग.)

क्रमांक / 162 / कलेक्टर / भू–अर्जन शाखा / 2025 नारायणपुर, दिनांक 13 / 06 / 2025

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छ.ग. शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त बस्तर संभाग जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी नारायणपुर को मूल प्रकरण के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. अनुविभागीय अधिकारी लो.नि.वि. (भ/स) लोक निर्माण विभाग उपसंभाग क. 01 जिला नारायणपुर को अधिसूचना का प्रकाशन प्रचलित दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में कराकर पेपर कटिंग प्रस्तुत करने तथा शासकीय मुद्रणालय छ.ग.राजनांदगांव के राजपत्र भाग–1 में तत्काल प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
5. डी.आई.ओ. विज्ञान एवं सूचना केन्द्र (एन.आई.सी) नारायणपुर को सूचनार्थ। इस अधिसूचना को छ.ग. शासन, राजस्व विभाग एवं जिले की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
6. तहसीलदार नारायणपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। अधिसूचना का प्रकाशन अनुविभाग कार्यालय, तहसील कार्यालय, ग्राम पंचायत के मुख्य स्थानों पर चस्पा करना सुनिश्चित करें तथा प्रकाशन पश्चात् उसकी प्रति भू–अर्जन अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रभावित क्षेत्र में ऐसी रीति से जो विहित हो अथवा मुनादी कराया जाकर रिपोर्ट भू–अर्जन अधिकारी को दी जावे। यह भी आदेशित किया जाता है कि, छ.ग. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की कंडिका (4) एवं कंडिका (5) के उपबंधों का पालन सुनिश्चित करते हुए यथाविहित भूमि अभिलेखों को अद्यतन करने की कार्यवाही समय–सीमा में पूर्ण की जावे।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत नारायणपुर को ग्राम पंचायत के मुख्य स्थानों पर चस्पा करना सुनिश्चित करें तथा प्रकाशन पश्चात् उसकी प्रति भू–अर्जन अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रभावित क्षेत्र में ऐसी रीति से जो विहित हो अथवा मुनादी कराया जाकर रिपोर्ट भू–अर्जन अधिकारी को दी जावे।
8. ग्राम पंचायत करमरी को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर,
जिला नारायणपुर (छ.ग.)

लोक निर्माण विभाग की बड़गांव-धुरबेड़ा-ताड़ोनार से नारायणपुर जिला मुख्यालय तक मार्ग का निर्माण परियोजना अंतर्गत ग्राम कुम्हारीबेड़ा मे मार्ग निर्माण परियोजना हेतु ग्राम कुम्हारीबेड़ा-तहसील छोटेडोंगर, नारायणपुर -छत्तीसगढ़ की निजी भूमि अधिग्रहण प्रकरण में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण, सहमति तथा जन सुनवाई) नियम, 2016 के परिपेक्ष्य में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना।

स्थान - ग्राम कुम्हारीबेड़ा

दिनाँक - ग्राम सभा 11.09.2025/ जनसुनवाई 09.10.2025
समय- सुबह 10.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट– बड़गांव–धुरबेड़ा–ताड़ोनार से नारायणपुर जिला मुख्यालय तक मार्ग का निर्माण परियोजना अंतर्गत ग्राम कुम्हारीबेडा, ग्राम पंचायत बड़गांव

प्रस्तावना

यह आलेख ग्राम कुम्हारीबेडा विकासखंड नारायणपुर जि नारायणपुर में प्रस्तावित बड़गांव-धुरबेड़ा-ताड़ोनार से नारायणपुर जिला मुख्यालय तक मार्ग का निर्माण परियोजना अंतर्गत ग्राम कुम्हारीबेडा में मार्ग निर्माण के लिये ग्राम कुम्हारीबेडा में 0.328 हेक्टेयर पर सड़क निर्माण के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के संबंध में सामाजिक समाघात मूल्यांकन प्रतिवेदन है। लोक निर्माण विभाग राज्य सरकार का एक उपक्रम है । इसका वर्तमान कार्य क्षेत्र पूरे राज्य में है जो सम्पूर्ण राज्य के लिये सड़क, भवन एवं पुल-पुलिया निर्माण करता है लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने पत्र क्रमांक एफ .17-171/2022/19 / तक. 2 नया रायपुर दिनाँक 06.10.2023 द्वारा विकासखंड नारायणपुर के ग्राम कुम्हारीबेड़ा में सड़क निर्माण कार्य हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है।
क्षेत्र को सड़क निर्माण के से निम्नलिखित लाभ होंगे।

प्रस्तावित सड़क निर्माण कार्य से क्षेत्र के निवासियों की जिला मुख्यालय तक पहुंचना आसान होगा ग्राम वासियों को चिकित्सा शिक्षा कृषि उप्तादों का परिवहन करने में आसानी होगी साथ ही साथ समय की बचत होगी। उक्त सड़क निर्माण से ग्रामवासियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी प्रस्तावित सड़क निर्माण से किसानों विद्यार्थियों तथा निवासियों को आवागमन की सुविधा होगी। प्रस्तावित सड़क निर्माण कार्य पूरा होते ही क्षेत्र के सैकड़ों किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।

इस हेतु ग्राम कुम्हारीबेडा में भू-अधिग्रहण अधिनियम के तहत भू-अर्जन की कार्यवाही चल रही है। सड़क के निर्माण से क्षेत्र में कृषिकरण का विकास होगा तथा कृषि सुरक्षा मिलेगी साथ ही साथ स्थानीय आमजन वर्तमान युग के आर्थिक विकास की धारा में शामिल होकर अपने एवं परिवार के आर्थिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास कर सकेंगे।
लोक निर्माण विभागद्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की मूल भावना के अनुरूप सड़क निर्माण कार्य के लिए उपयुक्त न्यूनत्तम निजी एवं शासकीय भूमि का चयन किया गया है। शासन की योजना अनुसार समस्त प्रभावित खातेदारों एवं उनके आश्रित परिवार के जीवन स्तर में समग्र उन्नयन को प्रभावित क्षेत्र एवं आसपास में क्रियान्वयन की रूपरेखा ही इस पुनर्वास योजना का आधार है। इसमें इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि भूमि की मात्रा को न्यूनत्तम स्तर पर रखकर, सड़क निर्माण कार्य को अपनी आवश्यकता के अनुरूप विकसित कर एवं भू-खण्ड का अधिकतम सीमा तक यथोचित सर्वोत्तम उपयोग किया जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि सड़क निर्माण कार्य निर्माण से प्रभावित क्षेत्र की जैव-पारिस्थितिकी विशिष्टता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े अपितु लोक निर्माण विभाग बड़गांव-धुरबेड़ा-ताड़ोनार से नारायणपुर जिला मुख्यालय तक मार्ग का निर्माण परियोजना अंतर्गत ग्राम कुम्हारीबेडा सड़क निर्माण कार्य से यह प्रयास करेगी कि क्षेत्रीय पर्यावरण में हरितिमा को बढ़ावा मिले। जल संसाधन बड़गांव-धुरबेड़ा-ताड़ोनार से नारायणपुर जिला मुख्यालय तक मार्ग का निर्माण परियोजना अंतर्गत ग्राम कुम्हारीबेडा सड़क निर्माण कार्य वचनबद्ध है कि स्थानीय जन-कल्याण के सभी कार्यों में अपने दायित्व के निर्वहन के अवसरों पर सदैव अपनी सामर्थ्य के अनुसार अधिकतम सहयोग करेगी । उपर्युक्त परिस्थितियों के परिपेक्ष्य में लोक निर्माण विभाग बड़गांव-धुरबेड़ा-ताड़ोनार से नारायणपुर जिला मुख्यालय तक मार्ग का निर्माण परियोजना अंतर्गत ग्राम कुम्हारीबेडा सड़क निर्माण कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 व केन्द्र

सरकार के अध्यादेश दिनांक 31 दिसम्बर 2014 के अनुसार पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना (Resettlement & Rehabilitation Plan) तैयार किया है। बड़गांव-धुरबेड़ा-ताड़ोनार से नारायणपुर जिला मुख्यालय तक मार्ग का निर्माण परियोजना अंतर्गत ग्राम कुम्हारीबेडा सड़क निर्माण कार्य द्वारा पुनर्वास योजना के मुख्य बिन्दु जैसे भूमि एवं संपत्ति का मुआवजा, रोजगार विकल्प, सामुदायिक विकास कार्यों की रूप रेखा, प्रशिक्षण इत्यादि मुद्दो का गांव में छोटे-छोटे जन समूहों में चर्चा एवं ग्राम कुम्हारीबेडासभा की बैठकों में विस्तृत चर्चा एवं सुझाव के अनुसार पुनर्वास योजना को तैयार किया गया है ।

प्रस्तावित बड़गांव-धुरबेड़ा-ताड़ोनार से नारायणपुर जिला मुख्यालय तक मार्ग का निर्माण परियोजना निर्माण हेतु ग्राम कुम्हारीबेडा तहसील नारायणपुर ज़िला नारायणपुर की भूमि का अधिपत्य प्राप्त करने हेतु.लोक निर्माण विभाग द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ किये जाने के परिपेक्ष्य में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत सचिव छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन जल संसाधन बड़गांव-धुरबेड़ा-ताड़ोनार से नारायणपुर जिला मुख्यालय तक मार्ग का निर्माण परियोजना अंतर्गत ग्राम कुम्हारीबेडा सड़क निर्माण कार्य मंत्रालय रायपुर में जारी पत्र क्रमांक एफ 4-28/सात-1/2014 नया रायपुर के अनुसार भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता जल संसाधन बड़गांव-धुरबेड़ा-ताड़ोनार से नारायणपुर जिला मुख्यालय तक मार्ग का निर्माण परियोजना अंतर्गत ग्राम कुम्हारीबेडा सड़क निर्माण कार्य हेतु भू-अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ किये जाने के परिपेक्ष्य अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण, सहमति तथा जन सुनवाई) नियम 2016 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण दल का गठन किये जाने के आधार पर उक्त वर्णित प्रावधानों के तहत जनसुनवाई दिनांक 09-10-2025 को निम्नानुसार किया गया।

सर्वप्रथम सामाजिक समाघात निर्धारण दल एवं अपेक्षक निकाय के द्वारा आयोजित जनसुनवाई में उपस्थित जनों को अवगत कराया गया कि -

सड़क निर्माण .परियोजना आज लोक प्रायोजन का विषय बना हुआ है अतः इसके कारण सड़क निर्माण को बल प्रदान होता है। देश की इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लोक निर्माण विभागग्राम कुम्हारीबेडा तहसील छोटेडोंगर नारायणपुर जिले में सड़क का निर्माण कर रही है

जिसे बनाने के हेतु ग्राम कुम्हारीबेडाकी कुल 0.328 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है जिसमें भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की आवश्यकता है। सड़क निर्माण हेतु प्रशासन के द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है । अब भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही किया जाना है इस कार्य के लिए सर्वप्रथम सामाजिक समाघात का आंकलन / निर्धारण किया जाना है, चूंकि इस परियोजना के लिए भूमि की जो आवश्यकता है वह न्यूनतम आवश्यकता पर आधारित है । इस परियोजना के निर्माण में सभी सामाजिक लागत/ पहलुओं एवं फायदों का निर्धारण किया गया है।

प्रारूप -3
सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन
नियम -23

1-परियोजना क्षेत्र की जनसांख्यिकी विवरण-

ग्राम -कुम्हारीबेड़ा

क कुल जनसंख्या'- 381 1, पुरूष- 176 2, महिला- 205

ख बच्चो की संख्या - 43 1, पुरूष- 27 2, महिला- 16

ग जातिवार जनसंख्या- 1, अनुसूचित जनजाति 152 2, अनुसूचित जाति --
3, अन्य पिछड़ा वर्ग -- 4, अन्य जाति --

घ धर्मवार जनसंख्या - 1, हिन्दू- 31 2, मुस्लिम- --
3, सिक्ख- -- 4, इसाई- 350
5, बौद्ध- -- 6, अन्य- --

2-गरीबी रेखा से नीचे के परिवारो की संख्या- 65

3-वृद्धावस्था पेंशनरों की संख्या- 10

4-निराश्रित पेंशनरों की संख्या- 02

5-निरक्षर पुरूष एवं महिलाओं की संख्या- पुरूष- 100 महिला- 20

6-सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन- चर्च प्रांगण 1 भागवत मण्डली 0

7-प्रशासनिक संगठन -
सचिव 1 पटवारी 1
रोजगार सहायक 1 स्वास्थ्य कार्यकर्ता 1 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता २1

8-राजीतिक संगठन - बी.डी.सी., 0 सरपंच, 1 उप सरपंच 1

9-सिविल सोसाइटी एवं सामाजिक सदस्य -

10-भूमि का उपयोग-
1, कृर्षि भूमि - 253.27 हेक्टेयर
2, पड़त भूमि - 45.97 हेक्टेयर
3, सिंचित एक फसली भूमि- 15.75 हेक्टेयर
4, सिंचित दो फसली भूमि- 0.00 हेक्टेयर
5, असिंचित भूमि- 237.52 हेक्टेयर

11-जोत का आकार -
1, लघुकृषको कर संख्या - 12

2, सीमांत कृषको की संख्या - 29
3, कुल खातो की संख्या - 42
4, भूमिहीन व्यक्तियो की संख्या -00
5, वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अधिकार धारणा करने वाले
(तीन वर्ष या उससे पूर्व निवासरत व्यक्तियो की संख्या पृथक से दी जाये)

12-पशुधन - 1, पशुधन की संख्या - 200
2, दुधारू पशुधन की संख्या - 00
13-प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कार्य एवं रोजगार- कृषि मजदूरी, खेती एवं मछली पालन
14-पलायन - नही
15-रोजगार में महिलाओ की भागीदारी- 30 **प्रतिशत**
16-–खाद्य सुरक्षा - खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित
17-–अन्य स्थानीय रोजगार -तेन्दु पत्ता संग्रहण,
राजमिस्त्री,
कुटीर उद्योग,
एवं रोजगार गांरटी आदि।
18-मजदुरी दर - 261.00
19-ऋण तथा पहुॅच- ....
20-परिवहन एवं सड़क - हां
21-सिंचाई - नही
22-बाजार तक पहुॅच- सड़क है।
23-पर्यटन स्थल - निरंक
24-सहकारी संस्थाऐं- निरंक
25-–रहन-सहन- सामान्य

1, धारणाऐं सौदर्यपक्तता मोह एवं अभिलाषा - सामान्य ।
2, गृह- 95 प्रतिशत कच्चा एवं 05 प्रतिशत पक्का मकान
3, सामुदायिक एवं सिविल स्थान - 0
4, धार्मिक एवं सास्कृतिक स्थलं- उपलब्ध है।
5, भौतिक अधोसंरचना - उपलब्ध नही है।
6, लोक सेवा अधोसंरचना यथा विद्यालय, प्राथमिक शाला 1
माध्यमिक शाला 0 हाई स्कूल 0 स्वास्थ्य केन्द्र 0 आंगनवाड़ी 2
पी.डी.एस. भवन o पंचायत भवन 0
7, स्वास्थ्य सुविधाऐ आंगनबाड़ी लोक वितरण सिस्टम - उपलब्ध है।
8, सुरक्षा अपराध एवं हिंसा - एक दूसरे के साथ प्रेम भाव से जीवन निर्वाह कर रहें है और स्थानीय कानून और व्यवस्था सही है।

सामाजिक समाघात

(क) पहचान में आए समाघातों के लिए कार्य ढॉंचा और दृष्टिकोण

1- भूमि जीविका और आय पर समाघात -

(क) रोजगार के स्तर और प्रकार - परियोजना के आने के बाद प्रस्तावित सड़क निर्माण कार्य से क्षेत्र के निवासियों की जिला मुख्यालय तक पहुंचना आसान होगा ग्राम वासियों को चिकित्सा शिक्षा कृषि उत्पादों का परिवहन करने में आसानी होगी साथ ही साथ समय की बचत होगी। उक्त सड़क निर्माण से ग्रामवासियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी प्रस्तावित सड़क निर्माण से किसानों विद्यार्थियों तथा निवासियों को आवागमन की सुविधा होगी। प्रस्तावित सड़क निर्माण कार्य पूरा होते ही क्षेत्र के सैकड़ों किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।

(ख) अंतरीय परिवार रोजगार के तरीके- इस परियोजना के आने से सामाजिक आर्थिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार होगा

(ग) आय के स्तर - इस परियोजना के आने से आय के स्तर में बढोतरी होगी। लोग तरह तरह के व्यवसायों की शुरूआत भी कर सकते है जिनसे उनकी आर्थिक स्थित मजबूत होगी।

(घ) खाद्य सुरक्षा - आय की वृद्धि होने से खाद्य सुरक्षा अपने आप बढ जाएगी।

(ङ) जीवन निर्वाह के स्तर - आय की वृद्धि होने से जीवन निर्वाह के स्तर अपने आप अच्छे हो जाते है, अतः इस परियोजना से भी यही आशा और उम्मीद किया जा सकता है।

(च) उत्पादक संसाधनो तक पहुंच और नियंत्रण - आय की वृद्धि होने से लोगों की आवश्यकताएं भी बढ़ती जाती है और जिसके लिए उनमें उत्पादक संसाधानों तक पहुंच और नियंत्रण बढ़ जाती है। इस परियोजना से भी ऐसी संभावना व्यक्त की जा सकती है।

(छ) जीवका के विकल्पों तक महिलाओं की पहुंच - परियोजना के आने से जीविका के विकल्पों तक महिलाओं की पहुंच बढ़ जायेगी क्योकि रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।

2- भौतिक संसाधानों पर समाघात-

(क) प्राकृतिक संसाधनों (यथा मिट्टी, वायु जल, वन) पर समाघात - आवेदक निकाय द्वारा प्रस्तावित सड़क . निर्माण के द्वारा बाधित जल प्रवाह एवं आवागमन के अवरोध के प्रभाव को कम करने हेतु पूरा प्रयास किया जावेगा। इसके अतिरिक्त इस ग्राम कुम्हारीबेडा में सड़क निर्माण से वहां प्राकृतिक संसाधनों जैसे -मिट्टी , वायु जल एवं वन पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पडेगा।

(ख) जीविका के लिए भूमि एवं सार्वजनिक संपत्ति, प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव - जहां तक इस ग्राम कुम्हारीबेडा में भौतिक संसाधनों पर समाघात का प्रश्न है, जीविका के लिए वहां पर पर्याप्त भूमि है एवं वहां के सार्वजनिक संपत्तियों एवं प्राकृतिक संसाधनों पर इस परियोजना से किसी प्रकार का दबाव नही है।

3- निजी सम्पतियों पर समाघात-

(क) विद्यमान स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं की क्षमता- विद्यामान स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवा पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा बल्कि बड़गांव-धुरबेड़ा-ताड़ोनार से नारायणपुर जिला मुख्यालय तक मार्ग का निर्माण परियोजना अंतर्गत ग्राम कुम्हारीबेडा सड़क निर्माण कार्य द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं एवं शिक्षा सुविधाओं में बेहतरी की संभावना बढ़ जाती है।

(ख) गृह सुविधाओं की क्षमता - इस परियोजना से चूंकि लोगों के आय में वृद्धि होगी जिससे गृह सुविधाओं के उपयोग करने की क्षमता में बढ़ोतरी होगी।

(ग) स्थानीय सेवाओं की पूर्ति पर दबाव- स्थानीय सेवाओं की पूर्ति पर किसी प्रकार का दबाव नही होगा।

(घ) बिजली व जल पूर्ति की पर्याप्तता, सड़के, सफाई व कचरा प्रबंधन प्रणाली - परियोजना के माध्यम से बिजली व जल पूर्ति की पर्याप्तता, सड़के, सफाई व कचरा प्रबंधन प्रणाली विकास की संभावना बढ़ जाती है।

(ङ) निजी संपत्तियों जैसे - बोरवेल , इत्यादि पर समाघात- निजी संपत्तियों जैसे - बोरवेल, इत्यादि पर किसी प्रकार का प्रभाव नही पड़ेगा बल्कि बड़गांव-धुरबेड़ा-ताड़ोनार से नारायणपुर जिला मुख्यालय तक मार्ग का निर्माण परियोजना अंतर्गत ग्राम कुम्हारीबेडा सड़क निर्माण कार्य के द्वारा उनके मरम्मत एवं रख-रखाव का कार्य और अच्छी तरह से की जा सकती है।

4- स्वास्थ्य समाघात-

(क) महिलाओं के स्वास्थ्य पर समाघात - इस परियोजना से महिलाओं के स्वास्थ्य पर किसी प्रकार का प्रभाव नही पड़ेगा।

(ख) वृद्धजनों के स्वास्थ्य पर समाघात- इस परियोजना से वृद्धजनों के स्वास्थ्य पर भी किसी प्रकार का प्रभाव नही पड़ेगा।

5- सांस्कृतिक तथा सामाजिक स्थितियों पर समाघात -

(क) स्थानीय राजनीतिक संरचना का रूपान्तरण - इस परियोजना से किसी प्रकार का स्थानीय राजनीतिक संरचना का रूपान्तरण नही होगा।

(ख) जनसांख्यिकी परिवर्तन- इस परियोजना से किसी प्रकार का जनसांख्यिकी परिवर्तन नही होगा

(ग) आर्थिक, पारिस्थितिकी संतुलन में परिवर्तन - इस परियोजना के आने से गांव के लोग मुआवजे की राशि प्राप्त करते है। साथ ही साथ योग्यतानुसार परोक्ष रूप से रोजगार भी प्राप्त कर सकते है जिससे उनके आर्थिक जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है, किन्तु पारिस्थितिकी संतुलन में इस परियोजना से किसी प्रकार का परिवर्तन नही होगा।

(घ) मापदण्ड, विष्वास, मूल्यों एवं सांस्कृतिक जीवन पर समाघात - इस परियोजना के आने से अलग - अलग सोच विचार के लोग एवं पढ़े -लिखे लोगो का प्रभाव उस क्षेत्र में बढ़ता है, जिसका सीधा प्रभाव वहां के गरीब व कम पढ़े -लिखे लोगो पर भी पड़ता है, जैसे - उनके रहन सहन में परिवर्तन आता है, उनके सोच में परिवर्तन आता है, और सांस्कृतिक रूप से और सुदृढ़ होते है।

(ङ) अपराध एवं अवैध क्रियाकलाप -रोजगार की कमी के कारण गांव में अपराध एवं अवैध क्रियाकलापों में वृद्धि होती है, लेकिन परियोजनाओं के आने से रोजगार की संभावनाएं बढ़ती है जिससे जुड़कर लोग अपने मन को विभिन्न तरह के कार्यो में लगाकर आय -अर्जन कर सकते है। इस तरह की संभावना इस ग्राम कुम्हारीबेड़ा में भी व्यक्त की जा सकती है।

(च) विस्थापन का तनाव-इस परियोजना से किसी प्रकार के विस्थापन के संभावना नहीं है अतः इसे विस्थापन का तनाव शून्य है।

(छ) संयुक्त परिवारों के विखंडन का समाघात- परियोजना के लिए जमीन बिक्री या भू- अर्जन के वक्त खातों का विभाजन हो जाता है, जिससे संयुक्त परिवारों में विखंडन की संभावनाएं बढ़ जाती है, किन्तु साथ-साथ उसके एवज में प्राप्त मुआवजे की राषि के सदुपयोग से उनके आर्थिक जीवन से सुधार भी आ जाती है। लोग अपने बच्चों के अच्छी षिक्षा दिलाने में समर्थ हो सकते है तथा अच्छे स्वास्थ्य लाभ की सुविधा भी प्राप्त कर सकते है इसके अलावा अपने जीविका को और भी सरल बना सकते है।

6- चक्रीय परियोजना के विभिन्न चरणों पर समाघात -

क) पूर्व -सन्निर्माण चरण- निर्माण के पूर्व प्रस्तावित ग्राम कुम्हारीबेड़ा में कोई कार्य नही किया गया है। निर्माण अवधि कम होने एवं ग्राम कुम्हारीबेडा के संपूर्ण रकबे में से पूरक प्रकरण के अंतर्गत 0.328 हेक्टेयर भूमि अर्जन किये जाने से सेवाओं को प्रदान कराने लाभकारी निर्देष एवं अनिष्चितता का दबाव कम से कम रहेगा।

ख) सन्निर्माण चरण- परियोजना के निर्माण मे अधिकतम उन्नत किस्म की मशीनरी का उपयोग होने से कम से कम संख्या में मजदूरो का आगमन होगा। जिसके कारण प्रवासी संनिर्माण कार्यशक्ति का आगमन न्यूनतम होगा।

ग) प्रवर्तन चरण- परियोजना निर्माण के बाद प्रवासी सन्निर्माण कार्यशक्ति का विस्थापन होगा। परंतु स्थायी व्यक्तियों पर विपरीत प्रभाव कम होगा। वरन नई अधोसंरचना के निर्माण के फलस्वरूप उनके आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी।

घ) कार्य से घटाने वाला चरण -यह परियोजना एक स्थायी परियोजना है इसे यहां से हटाया नही जावेगा।

ङ) प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष समाघात - परियोजना के निर्माण के लिए ग्राम कुम्हारीबेड़ा की 0.328 हेक्टेयर भूमि अर्जन किया जायेगा जो कि ग्राम कुम्हारीबेड़ा के कुल रकबे का 0.59 % है प्रत्यक्ष समाघात न्यूनतम होगा।

च) संचित समाघात (प्रष्न में परियोजना के चिन्हांकित समाघात क्षेत्रों को मिलाकर अन्य परियोजना के समाघात) परियोजना के निर्माण से इस ग्राम कुम्हारीबेड़ा मे विस्थापन नहीं हो रहा, 0.328 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। अन्य परियोजना के समाघात को मिलाने पर संचित समाघात का प्रभाव उपरोक्तानुसार न्यूनतम होगा।

(ख) परियोजना चक्र के विभिन्न स्तरों पर समाघातों का वितरण, जैसे- स्वास्थ्य तथा जीविका और संस्कृति। प्रत्येक परिवार के समाघात, पृथक पहचान के लिए कि क्या यह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष समाघात है, प्रभावित परिवारों के विभिन्न वर्गो पर भेद दर्षक समाघात और जहां लागू हो - आंकलित समाघात ।

प्रस्तावित परियोजना से सम्भावित प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष समाघातों का आकलन किया गया तथा विभिन्न प्रकार के समाघातों का प्रभाव न्युनतम पाया गया। परियोजना के क्रियान्वयन से परियोजना के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों से ग्राम कुम्हारीबेड़ा वासियों के जीवन स्तर में सुधार आयेगा।

(ग) समाघात क्षेत्रों की सूचक सूची में सम्मिलित है, भूमि, जीविका और आय, भौतिक संसाधन, निजी आस्तियों, लोक सेवाओं और उपयोगिताओं, स्वास्थ्य, संस्कृति और सामाजिक संबंध तथा लिंग आधारित समाघात।

प्रस्तावित परियोजना से इस ग्राम कुम्हारीबेड़ा की कुल भूमि 552.51 हेक्टेयर में से कुल 0.328 हेक्टेयर प्रभावित हो रहा है जो कि कुल भूमि का 0.059 प्रतिशत है। इस अधिग्रहण से ग्राम कुम्हारीबेड़ा वासियों के भूमि जीविका और आय भौतिक संसाधन निजी आस्तियों, लोक सेवाओं और उपयोगितायों पर समाघात नगन्य है। अधिग्रहित की जाने वाली भूमि कृषि भूमि है, अधिग्रहण करने पर यथोचित मुआवजा दिये जाने के कारण जीविकोपार्जन पर कोई विपरीत प्रभाव नही पड़ेगा।

प्रारूप-4

कार्यकारी सार-

(क) परियोजना और लोक प्रयोजन

यह आलेख ग्राम कुम्हारीबेड़ा विकासखंड नारायणपुर जिला नारायणपुर में प्रस्तावित सड़क निर्माण के लिये ग्राम कुम्हारीबेड़ा में 0.328 हेक्टेयर पर सड़क निर्माण के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के संबंध में सामाजिक समाघात मूल्यांकन प्रतिवेदन है। लोक निर्माण विभाग राज्य सरकार का , एक उपक्रम है। लोक निर्माण विभाग राज्य सरकार का , एक उपक्रम है। इसका वर्तमान कार्य क्षेत्र पूरे राज्य में है जो सम्पूर्ण राज्य के लिये सड़क/भवन निर्माण कार्य करता है

लोक निर्माण विभाग रायपुर द्वारा अपने पत्र क्रमांक एफ .17-171/2022/19 / तक. 2 नया रायपुर दिनाँक 06.10.2023 द्वारा विकासखंड नारायणपुर के ग्राम कुम्हारीबेड़ा में सड़क निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई

क्षेत्र में सड़क निर्माण यह अत्यंत उपयोगी साबित होगा सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु आयोजित जनसुनवाई ग्राम कुम्हारीबेड़ा ग्राम में दिनांक 09.10.2025 .समय सुबह 10.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक आयोजित की गई

(ग) भूमि अर्जन का आधार और विषेषता

ग्राम ताड़ोनार	खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)	विषेषता
ग्राम कुम्हारीबेडा	138	0.049	सड़क निर्माण प्रयोजन हेतु प्रस्तावित
	139	0.51	
	147	0.028	
	123	0.034	
	122	0.034	
	119	0.064	
	150	0.013	
	151	0.055	
	8	**0.328** हेक्टेयर	

भूमि अर्जन सूची संलग्न है। (संलग्नक-1)

(१) इस परियोजना में लोक निर्माण विभाग के सर्वे शर्तो के अनुसार न्यूनतम भूमि का अर्जन प्रस्तावित है। परियोजना का मानचित्र संलग्न है। **(संलग्नक-2)**

(२) इस परियोजना में विस्थापित व्यक्त्यिों की संख्या शून्य है।

(३) इस परियोजना में किसी भी प्रकार की सरकारी भवन, नहर, स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र, देवस्थल आदि प्रभावित नहीं हो पा रही है। सड़क निर्माण परियोजना का संपूर्ण का व्यौरा संलग्न है। **(संलग्नक-3)**

(घ) अनुकल्पों पर विचार

चूकि इस ग्राम कुम्हारीबेड़ा में भूमि अधिग्रहण हेतु राज्य शासन द्वारा सैद्धांतिक सहमति प्राप्त है, इस ग्राम कुम्हारीबेड़ा में सड़क निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है। दूसरे विकल्प के तौर पर अगल-बगल में केवल निजी भूमि ही उपलब्ध है। साथ ही यह न्यूनतम अधिग्रहण क्षेत्र है।

(ङ)सामाजिक समाघात

ग्राम कुम्हारीबेड़ा क्रमांक 6 पर उल्लेखित है।

(च) कमी करने का उपाय

सीमित विकल्पो के बावजूद इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि न्यूनतम भूमि अधिग्रहण किया जाये और परियोजना क्षेत्र का रेखांकन इसी नीति के अनुसार किया गया है। भूमि एक सीमित प्राकृतिक संसाधन है अतः अपब्यय रोकने हेतु भूमि की आवष्यकता को यथासंभव लोक निर्माण विभाग के मापदण्ड के अनुरूप रखा गया है। प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र में सम्मिलित ग्राम कुम्हारीबेड़ा की आबादी भुमि को अधिग्रहण से बाहर रखा गया है।

(छ) सामाजिक लागत और फायदों का निर्धारण

लोक निर्माण विभाग की सड़क निर्माण परियोजना प्रस्तावित प्रकल्प नुकसान होने से बचाएगा परियोजना के स्थापित होने पर क्षेत्र की आर्थिक एवं सामाजिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव पडेगा। इसके माध्यम से क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक विकास को गति मिलेगी, साथ ही परोक्ष/अपरोक्ष रूप में रोजगार की अवसरों की भी उपलब्धता होगी। स्थानीय लोगों को लाभ देगा।

परियोजना के विवरण का ब्यौरा:-

(क) परियोजना की पृष्ठभूमि जिसके अंतर्गत विकासकर्ता की पृष्ठभूमि और शासन या प्रबंधन संरचना सहित।

जल संसाधन द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की मूल भावना के अनुरूप उपरोक्त सड़क निर्माण कार्य के लिए उपयुक्त न्यूनत्तम निजी एवं शासकीय भूमि का चयन किया गया है। शासन की योजना अनुसार समस्त प्रभावित खातेदारों एवं उनके आश्रित परिवार के जीवन स्तर में समग्र उन्नयन को प्रभावित क्षेत्र एवं आसपास में क्रियान्वयन की रूपरेखा ही इस पुनर्वास योजना का आधार है। इसमें इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि भूमि की मात्रा को न्यूनत्तम स्तर पर रखकर, सड़क निर्माण को अपनी आवश्यकता के अनुरूप विकसित कर एवं भू-खण्ड का अधिकतम सीमा तक यथोचित सर्वोत्तम उपयोग किया जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि सड़क निर्माण से प्रभावित क्षेत्र की जैव-पारिस्थितिकी विशिष्टता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े अपितु लोक निर्माण विभाग यह प्रयास करेगी कि क्षेत्रीय पर्यावरण में हरितिमा को बढ़ावा मिले।

बड़गांव-धुरबेड़ा-ताड़ोनार से नारायणपुर जिला मुख्यालय तक मार्ग का निर्माण परियोजना अंतर्गत ग्राम कुम्हारीबेड़ा सड़क निर्माण कार्य वचनबद्ध है कि स्थानीय जन-कल्याण के सभी कार्यो में अपने दायित्व के निर्वहन के अवसरों पर सदैव अपनी सामर्थ्य के अनुसार अधिकतम सहयोग करेगी ।

उपर्युक्त परिस्थितियों के परिपेक्ष्य लोक निर्माण विभाग , भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 व केन्द्र सरकार के अध्यादेष दिनांक 31 दिसम्बर 2014 के अनुसार पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना (Resettlement & Rehabilitation Plan) तैयार किया है। लोक निर्माण विभाग द्वारा पुनर्वास योजना के मुख्य बिन्दु जैसे भूमि एवं संपत्ति का मुआवजा, रोजगार विकल्प, सामुदायिक विकास कायों की रूप रेखा, प्रशिक्षण इत्यादि मुद्दो का गांव में छोटे-छोटे जन समूहों में चर्चा एवं ग्राम कुम्हारीबेड़ा सभा की बैठकों में विस्तृत चर्चा एवं सुझाव के अनुसार पुनर्वास योजना को तैयार किया गया है ।

(ख) परियोजना का मूलधार, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकार और पारदर्षिता आधारित अधिनियम, 2013 में परियोजना किस तरह का लोक परियोजना के उपयुक्त है, सूचीबद्ध मानदण्डों सहित।

परियोजना का मूल आधार बड़गांव-धुरबेड़ा-ताड़ोनार से नारायणपुर जिला मुख्यालय तक मार्ग सड़क निर्माण है जो पूर्ण रूप से लोक हितार्थ है। इस परियोजना उक्त सड़क निर्माण हेतु भूमि की आवष्यकता अपरिहार्य है। जहां परियोजना के लिए भूमि की आवष्कता होती है वहां विस्थापन की सम्भावनाएं बढ़ जाती है। किन्तु इस सड़क निर्माण परियोजना से इस ग्राम कुम्हारीबेड़ा में कोई विस्थापन नहीं किया जावेगा। परियोजनाएं जहां स्थापित होती है वहां के आस - पास के जीवन पर प्रभाव पड़ता है इस परियोजना से भी लोगेां के जीवन में सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव पड़ेगे जो विकासषील होगा। यदि हम लाभ की बात करें तो इससे भू- स्वामियों को राज्य शासन द्वारा निर्धारित उचित दर पर भूमि का मुआवजा दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त दूसरे आय-अर्जन व्यवसाय से जुड़ कर आर्थिक एवं सामाजिक आवष्यकताओं की पूर्ति कर सकेगें। परियोजना से भू- अर्जन एवं पुर्नस्थापन में उचित प्रतिकार तथा पारदर्षिता का अधिकार अधिनियम की धारा 2013 के तहत प्रभावित परिवार को लाभ मिलेगा । जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसके अलावा गांव एवं आस-पास के क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं पर कार्य कराये जावेंगे तथा गांव के युवा वर्ग/बेरोजगारों को प्रषिक्षत कर आय -अर्जन गतिविधियों से जोड़ा जा सकता है। क्षेत्र वासियों के निष्चित ही आय में वृद्धि होने पर उनके व्यय करने की क्षमता में वृद्धि होगी जिससे वे अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा सकते है जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगी।

इस प्रकार यह परियोजना लोक परियोजना की श्रेणी में है जो उपयुक्त है।

(ग) परियोजना के आकार, अवस्थान, क्षमता, उत्पाद, उत्पादन, लक्ष्य लागत जोखिम का ब्योरा
परियोजना का आकार - कुम्हारीबेड़ा सड़क निर्माण (**0.328 हेक्टेयर**)

नारायणपुर जिले के तहसील छोटेडोंगर में ग्राम कुम्हारीबेड़ा में लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क निर्माण किया जा रहा है। इस सड़क की क्षमता लगभग 12 Ton है। इस परियोजना की लागत मूल्य लगभग **3334.04** लाख रूपये है। प्रस्तावित परियोजना में सड़क निर्माण कार्य किया जावेगा। सड़क निर्माण से पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े इस हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा पूरा ध्यान रखा जायेगा

(घ) अनुकल्पों की परीक्षा:-

सड़क निर्माण के माध्यम से लोक निर्माण विभाग के मापदंडों के तहत विभिन्न अनुकल्पों पर विचार किया गया एवं प्रस्तुत विकल्प सर्वश्रेष्ठ होने के कारण अंतिम रूप दिया गया।

(ङ) परियोजना के सन्निर्माण की अवस्थाएं:-

सड़क का निर्माण भूमि अर्जन कार्यवाही पूर्ण होने उपरांत एक ही चरण में पूर्ण किया जायेगा ।

(च) मूल डिजाइन की विषिष्टियां और सुविधाओं का आधार एवं प्रकार:-

लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्राप्त किया गया है, अनुमोदित प्रत्र की छाया प्रति संलग्न है **(संलग्नक-4)**

(छ) सहायक अधोसंरचनात्मक सुविधाओं की आवश्यकता :-

चूंकि सड़क निर्माण से संबंधित किसी सहायक उद्योग का निर्माण नही किया जायेगा अतः सहायक अधोसंरचनात्मक सुविधाओं की आवष्यकता नहीं है। अपितु सड़क निर्माण में आधारभूत संरचनाओं को ध्यान रखा जाना उचित होगा।

(ज) कार्यबल अपेक्षाएं (अस्थाई एवं स्थाई):-

अनुरेखीय अधिग्रहण की परियोजना होने के कारण खातेदारों से केवल भूमि के छोटे क्षेत्र से ही अधिग्रहण किये जा रहे है इसके बावजूद आपेक्षित निकाय मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर अधिग्रहण करेगा और विभिन्न नीतियों में उल्लेखित और उसमें भी अधिक उपलब्ध कराने के लिए सभी आवष्यक कदम उठाएगा। चूंकि परियोजना एक स्थायी उत्पादन इकाई नही है, सड़क निर्माण के पश्चात प्रभावित परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराना संभव नही है, तथापि निर्माण के दौरान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रचलित दरों किंतु न्यूनतम मजदूरी से कम नही पर मजदूर स्तर या अकुषल श्रमिक स्तर पर केवल निर्माण कार्य के दौरान यथा अपेक्षित निर्माण एजेंसी के माध्यम से उन्हे कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाएगा जो कार्य करने में सक्षम है और इच्छुक भी है केवल अनुरक्षण के लिए परिसंपत्तियों के प्रचालन के दौरान कुशल श्रेणियों में केवल कुछ ही रोजगार उपलब्ध हो सकते है। अनुरक्षण/प्रचालन एजेंसी द्वारा भर्ती के समय उपलब्ध कौशलों के आधार पर प्राथमिकता के आधार पर भूमि को खोने वालो को वरियता प्रदान की जायेगी।

(झ) सामाजिक समाघात निर्धारण या पर्यावरण समाघात निर्धारण का ब्यौरा, यदि पहले से किया गया है और तकनीकी साध्यता रिपोर्ट :-

लोक निर्माण विभाग को राज्य सरकार से सड़क निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है प्राप्त स्वीकृति में दषयि गये विभिन्न शर्तो एवं आवश्यकताओं को लागू किया जायेगा। इसमें प्रमुख रूप से पर्यावरण को होने वाली नुकसानों से बचाया जा सके।

(ञ) लागू किए गए विधान एवं नीतियां:-

समाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबधन योजना निम्नाकिंत अधिनियमों में वर्णित प्रावधानों के पुर्ति हेतु किया गया है।

(1) भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013

(2) भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार संषोधन अध्यादेष 2014

(3) भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार संषोधन अध्यादेष 2015

(4) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम (संषोधन) विधेयक 2015

(5) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम द्वितीय विधेयक 2015

(6) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन विकास योजना) नियम, 2015

(7) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण और सहमति) नियम, 2014

(8) अधिनियम के प्रारम्भ के राजपत्र अधिसूचना

(9) अनुछेद २(प)(इ)(प) में उद्धत किए अनुसार अवसरंचना अनुभाग, आर्थिक कार्य बड़गांव-धुरबेड़ा-ताड़ोनार से नारायणपुर जिला मुख्यालय तक मार्ग का निर्माण परियोजना अंतर्गत ग्राम कुम्हारीबेड़ा सड़क निर्माण कार्य, वित्त मंत्रालय की राजपत्र अधिसूचना।

(10) Environment Protection Act, 1986

दल की संरचना, दृष्टिकोण, प्रणाली और सामाजिक समाघात निर्धारण की अनुसूची

अनुविभागीय अधिकारी (रा०) एवं भू-अर्जन अधिकारी नारायणपुर छ.ग. शासन के आदेश क्रमांक 1466. /अनु.अधि./प्रवाचक-१/२०२५ दिनांक 19.06.2025.. के द्वारा निम्नलिखित सदस्यों का दल भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्षिता अधिकार अधिनियम 2013 के क्रियान्वयन हेतु गठित की गई है:-

(क) दल के सभी सदस्यों की अर्हता सूची, दल लिंग विशेषज्ञों सहित

(क) दल के सभी सदस्यों की अर्हता सूची, दल लिंग विशेषज्ञों सहित

(क) गैर शासकीय सामाजिक वैज्ञानिक - 1. श्री दीपक सोनी यूथ वेलफेयर सोसाइटी रायगढ़

(ख) स्थानीय निकायों के प्रतिनिधी - 1. सरपंच ग्राम पंचायत बड़गांव तहसील छोटेडोंगर जिला नारायणपुर
2 उपसरपंच ग्राम पंचायत बड़गांव तहसील छोटेडोंगर जिला नारायणपुर

(ग) पुर्नव्यवस्थापन विशेषज्ञ - 1. श्री सदाराम ठाकुर सेवा निवृत्त डिप्टी कलेक्टर ,

(घ) परियोजना से संबंधित विषय का विशेषज्ञ - श्री बलराम सिंह नायक, प्रभारी अनु विभागीय अधिकारी

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट– बड़गांव–धुरबेड़ा–ताड़ोनार से नारायणपुर जिला मुख्यालय तक मार्ग का निर्माण परियोजना अंतर्गत ग्राम कुम्हारीबेडा, ग्राम पंचायत बड़गांव

लोक निर्माण विभाग भ/स नारायणपुर
(ङ) प्रभावित क्षेत्र का तहसील - श्री सौरभ कश्यप प्रभारी तहसीलदार नारायणपुर

(ख) सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु सूचना संग्रहण के लिए प्रयोग में आने वाली प्रणाली का विवरण और मूलधार तथा साधन

1. **प्रारंभिक आकड़े** - प्रारंभिक आंकड़े को सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु एक महत्वपूर्ण एवं अपनी ही उपयोगिता है इससे हमें प्रथम दृष्टि में जो कुछ भी दिखाई साक्षात देखने को मिलता है अथवा लोगों के जानकारी द्वारा प्राप्त होता है उसे प्रारंभिक आंकड़े कहा जाता है इस तरीके का उपयोग सर्वेक्षण कर्ता खुद अपने आप उस खास जगह पर जाकर करता है जिसका उपयोग प्रयोजन हेतु करना है। ये आंकड़े लोगो से बात - चीत कर तथा देखकर जुटाये जाते है।
2. **द्वितीयक आंकड़े** - दूसरों के द्वारा सर्वेक्षित किये गये आंकड़ो को हम द्वितीयक आंकड़े कहते है। जिसका प्रयोग समाजिक समाघात निर्धारण हेतु किया जाता है। यह किताब के रूप में पत्रिका के रूप में या शासन के रिकार्ड, सैंसस रिपोर्ट के रिकार्ड के रूप में प्राप्त किया जा सकता है।

3. **सामाजिक मानचित्र** - सामाजिक मानचित्र, सामाजिक समाघात निर्धारण के लिये एक उचित उपयुक्त साधन हो सकता है, जिसमें हम एक मानचित्र के सहारे सम्पूर्ण गांव के घरों, सुविधाओं जैसे - मंदिर, स्टोर, स्कूल, अस्पताल, रोड़ सड़क, पेयजल सुविधाएं सिंचाई एवं मनोरंजन के स्थानों का अवलोकन कर सकते है यह मानचित्र घरों की स्थिति तथा उसके सही जगह और गांव में अन्य सुविधाओं की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्रदान करता है। जो कि हमें किसी प्रयोजन हेतु प्लान में लागू करने, उसकी देखरेख करने तथा समाघात करने में सहायता प्रदान करती है। मानचित्र संलग्न है।

4. **संसाधन मानचित्र** - सामाजिक मानचित्र से गांव के समुदाय एवं संसाधनों की उपस्थिति के बारे में जानकारी ज्ञात हुई मुख्यत: एक फसली कृषि आधारित क्षेत्र है

- **सामाजिक मानचित्र (संलग्न है) संलग्नक-5**
- **संसाधन मानचित्र (संलग्न है) संलग्नक-6**
- **प्रारंभिक आंकड़े**-प्रारंभिक आंकड़े इक्कठा करने हेतु ग्राम कुम्हारीबेड़ा का सर्वेक्षण किया गया। इस सर्वेक्षण के द्वारा निम्न आंकड़े इक्कठा किये गये।

(ग) नमूना प्रणाली का उपयोग

सामाजिक समाघात निर्धारण की जनसुनवाई में प्राप्त आवेदन तथा भू अर्जन /पूरक भू अर्जन हेतु सहमती की संख्या
प्राप्त आवेदन का विवरण - संलग्न है
सहमति संख्या - ---------------
असहमति - निरंक

भू- अर्जन की प्रक्रिया सामाजिक समाघात निर्धारण के पूर्व प्रावधानों के तहत किया गया था जिसमें ग्राम कुम्हारीबेड़ा में ग्राम सभा हुआ था उसमें सहमति के प्रस्ताव प्राप्त हुये थे।

साथ ही प्राप्त कृषकों से पृथक-पृथक सहमति प्राप्त की गई । यह कि उपरोक्त कार्यवाही दस्तावेजो प्रमाण के रूप में मौजूद है, अतः उक्त दस्तावेज को नजर अंदाज नही किया जा सकता । सामाजिक समाघात निर्धारण की अनुक्रम में पर्याप्त सहमति मान्य की जाती है।
प्राप्त सुझाव आवेदन का निराकरण - संलग्न है।
गांव के प्रभावित परिवारों का सर्वेक्षण जन सुनवाई के समय किया गया है, चर्चा पूर्ण की गई है।

(घ) सूचना अथवा डाटा स्त्रोतों के प्रयोग का पर्यावलोकन (विस्तृत निर्देषों को पृथक रूप से प्रारूपों में सम्मिलित करें।

1. **परियोजना क्षेत्र की जनसांख्यिकी का विवरण-**

कुल	पुरूष	महिला	कुल
कुल	176	205	424
बच्चों की संख्या	27	16	43

जातिवार	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.पि.व.	अन्य
जनसंख्या	31	-	-	-

धर्मवार	हिन्दू	मुस्लिम	सिक्ख	इसाई	अन्य
जनसंख्या	31	-	-	393	-

शैक्षणिक परिदृश्य -षिक्षा किसी भी गांव या समाज के विकास की पूंजी होती है। यह विकास एवं उत्थान की दिषा को निर्देषित करती है जब कि कहीं- कहीं पर लोगो के बीच (शिक्षित व अशिक्षित के बीच) नये तरह का अंतर भी पैदा करती है इन सबके बीच, किसी क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक विकास की दिषा में यह एक मूल जरूरत और एक अच्छा सूचक भी है।

2. सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन- किर्तन मण्डली-२, भागवत मण्डली
3. प्रषानिक संगठन- **सचिव** -1
   पटवारी-1
   रोजगार सहायक-1
   स्वास्थ्य कार्यकर्ता-1
   आंगनबाड़ी कार्यकर्ता- 1
4. राजीतिक **संगठन - बी.डी.सी., सरपंच, उप सरपंच**
5. सिविल सोसाइटी संगठन एवं सामाजिक सदस्य - हाँ
6. पषु धन

पशुधन की संख्या	दुधारू पशुधन की संख्या
200	00

7. प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कार्य एवं रोजगार.- मुख्यतः कृषि एवं मजदूरी पर आधारित है।
8. पलायन - नहीं
9. रोजगार मे महिलाओं की भागीदारी - 30 प्रतिषत
10. खाद्य सुरक्षा - खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित
11. अन्य स्थानीय रोजगार- तेन्दुपत्ता संग्रहण, राजमिस्त्री, कुटीर उद्योग, दुग्ध उत्पादन, रोजगार गारंटी आदि।
12. मजदूरी दर - 261/- प्रति दिन
13. ऋण तक पहुंच - ....
14. परिवहन एवं सड़क - हाँ

- कांक्रिटींग एवं पक्की सड़क - बाजार तक पहुंच, मरम्मत की आवष्यकता
- बस सुविधा - नहीं
- रेलवे सुविधा- निरंक
- हवाई सुविधा - निरंक
- एम्बुलेंस सुविधा -108 एवं 102

15. सिंचाई - नलकुप, कुआँ, नाला आदि
16. बाजार तक पहुंच- कांक्रिटींग एवं पक्की सड़क,
17. पर्यटन स्थल -निरंक
18. सहकारी संस्थाएं - निरंक
19. रहन-सहन - सामान्य
20. इस ग्राम कुम्हारीबेड़ा में लगभग 80 प्रतिशत लोग आदिवासी है। उनमें बदलाव की संभावनाएं बहुत धीमें गति से होती है, किन्तु आस - पास के गांवों के प्रभाव तथा कई परियोजनाओं के आस - पास में आने के कारण उनमें भी बदलाव आया है, और धीरे धीरे विकास की ओर अग्रसर है, और वो भी अब यही चाहते है कि उनका गांव का यथासंभव विकास हो।
21. गृह - करीब 95 प्रतिशत घर मिट्टी के बनें है उनके छत में खपड़े डाले गए है, बाकी लगभग 05 प्रतिशत घरों का निर्माण ईट एवं ढलाई (पक्के घर) ये बने है।
22. सामुदायिक एवं सिविल संस्थान - सामुदायिक भवन उपलब्ध है / नही है।
23. धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थल- धार्मिक स्थल है। चर्च
24. भौतिक अधोसंरचना (यथा जलआपूर्ति, सीवरेज, सिस्टम इत्यादि) -निरंक
25. लोक सेवा अधोरंचना (यथा विद्यालय, स्वास्थ्य सुविधाएं, आंगड़बाड़ी, लोक वितरण सिस्टम इत्यादि) - इस ग्राम कुम्हारीबेड़ा में षासकीय प्राथमिक शाला है इनके अलावा आंगनबाड़ी स्थित है।

26. सुरक्षा अपवाद एवं हिंसा-गांव में किसी तरह की सुरक्षा संबंधित समस्या नही है, वहां की आपसी सदभावना बनी हुई है और लोग एक - दूसरे के साथ प्रेम भाव से जीवन निर्वाह कर रहें है और स्थानीय कानून और व्यवस्था सही है।

- **द्वितीयक आंकड़े**

विभिन्न राजस्व अभिलेखों के सर्वेक्षण के द्वारा प्राप्त की गयी जानकारी निम्नलिखित है।

1. **भूमि का उपयोग** -

कृषि भूमि	पड़त भूमि	सिंचित एक फसली भूमि	सिंचित दुफसली भूमि	असिंचित भूमि
253.27 हेक्टेयर	45.97 हेक्टेयर	0.00 हेक्टेयर	0.00 हेक्टेयर	253.27 हेक्टेयर

2. **जोत का आकार**

लघु कृषकों की संख्या	सीमांत कृषकों की संख्या	कुल खातों की संख्या	भूमिहीन व्यक्तियों की संख्या	वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अधिकार धारण करने वाले व्यक्तियों की संख्या (तीन वर्ष या उससे पूर्व निवासरत व्यक्तियों की संख्या पृथक से दी जाए)
12	29	42	00	00

(ङ) प्रमुख पदाधिकारियों के साथ परामर्ष और की गई लोक सुनवाईयों के संक्षिप्त विवरण की अनुसूची (लोक सुनवाइयों के ब्यौरे और विनिर्दिष्ट पुर्ननिविष को रिपोर्ट में रखकर प्रारूपों में सम्मिलित किया जाना चाहिए)

लोक निर्माण विभाग एवं स्थानीय राजस्व द्वारा समय - समय पर विभिन्न बैठकों का आयोजन किया गया जिसमें ग्रामिणों एवं पंचायत प्रतिनिधियों की उपास्थिति रही। इन बैठकों का विवरण संलग्न है। इस ग्राम कुम्हारीबेड़ा में सड़क निर्माण के सहमति हेतु ग्राम कुम्हारीबेड़ा ग्राम सभा की बैठक दिनांक 11.09.2025 को आयोजित की गई तथा परियोजना के संबंध में विस्तृत जानकारी ग्राम कुम्हारीबेड़ा वासियों को प्रदान की गई। ग्राम कुम्हारीबेड़ा में आयोजित की गई सामाजिक समाघात निर्धारण, तथा जन सुनवाई दिनांक 09.10.2025 को ग्राम कुम्हारीबेडा पंचायत भवन ग्राम कुम्हारीबेडा में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित की गई जिसकी सूचना समस्त ग्राम कुम्हारीबेड़ा वासीयों को मुनादी, पंचायत भवन में सूचना पत्र को चस्पा किया गया एवं सरपंच को सूचना पत्र उपलबध कराते हुए वृहद्ध प्रचार प्रसार हेतु दो दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया गया। (संलग्नक-६)

भूमि अवधारणा

(क) भूमि तालिका की सूचना और प्राथमिक स्त्रोत - नक्षों की सहायता से वर्णन करें।

प्रस्तावित सड़क निर्माण के लिये अर्जित की जा रही भूमि का विवरण एवं नक्षा संलग्न है।

(ख) परियोजना के प्रभाव के अधीन पूर्ण संघटन क्षेत्र (अर्जन के लिए भूमि क्षेत्र तक)

प्रस्तावित सड़क निर्माण परियोजना के प्रभाव के अधीन संघटन क्षेत्र कुल 0.334 हेक्टेयर है।

(ग) परियोजना के लिए कुल अपेक्षित भूमि

प्रस्तावित परियोजना के लिए प्रभावित ग्राम कुम्हारीबेड़ा की कुल 0.334 हेक्टेयर भूमि अर्जन किया जा रहा है, जिसमें से 0.334 हेक्टेयर भूमि अर्जन किया जा चुका है।

(घ) वर्तमान में किसी सार्वजनिक अनुपयोग भूमि, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस - पास है का पयोग इस परिथि की भूमि परियोजना में नही है।

(ङ) भूमि (यदि कोई हो) पहले से ही क्रय की गई अन्य संक्रमित पट्टे पर या अर्जित है और परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि के प्रत्येक प्लांट का आषयित उपयोग

प्रस्तावित परियोजना के लिये पूर्व में है।0.334 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की गई है।

(च) परियोजना के लिए अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि का परिमाण और स्थान

परियोजना के लिए अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि का परिमाण 0.334 हेक्टेयर है जो कि ग्राम कुम्हारीबेड़ा, तहसील छोटेडोंगर जिला नारायणपुर छत्तीसगढ़ में अवस्थित है।

(छ) भूमि की प्रकृति, वर्तमान उपयोग और वर्गीकरण तथा यदि कृषि भूमि हो, तो सिंचाई क्षेत्र और फसल क्रम

प्रस्तावित सड़क निर्माण से इस ग्राम कुम्हारीबेड़ा की प्रभावित भूमि, कृषि योग्य असिंचित भूमि है। और जिसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ कृषि कार्य में होता है।

मुख्य फसल क्रम -धान, उड़द इत्यादि

(ज) धारित भूमि का आकार, स्वामित्व क्रम, भूमि वितरण और आवासीय सदनों की संख्या

प्रस्तावित ग्राम कुम्हारीबेड़ा में कुल खातेदारों की संख्या 42 है, उनमें से लघु कृषक 12-सीमांत कृषक 29 है, वन पट्टाधारी व्यक्तियों की संख्या .... एवं भूमिहीन व्यक्तियों की संख्या 0 है।

(झ) भूमि कीमत और स्वामित्व में परिवर्तन, पिछले 3 वर्षो से भूमि का अंतरण और उपयोग

इस ग्राम कुम्हारीबेडा में परियोजना हेतु प्रस्तावित जमीन की कीमत भू- अर्जन अधिनियम 2013 के तहत शासन के द्वारा निर्धारित की जायेगी। तदानुसार प्रभावित कृषकों को मुआवजा राषि प्रदाय किया जायेगा।

विवरण संलग्न है।

प्रभावित परिवारों एवं संपत्तियों (जहां अपेक्षित हो) का प्राक्कलन और प्रगणन

(क) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित (स्वयं की भूमि, जो कि अर्जन के लिए प्रस्तावित है)

1. किरायेदार है अथवा अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि के अधिभोगी है।
   सभी प्रभावित कृषकों का विवरण संलग्न है।
2. अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन्य निवासी जिनके किसी भी वन्य अधिकार की हानि हुई है।
   सम्बंधित नही है।
3. सामान्य भूमि स्त्रोतों पर आश्रित, जो कि उनकी जीविका की भूमि के अर्जन के कारण प्रभावित होगी।
   कुल ..... खातेदार/भूमि स्वामी प्रभावित है, इन सभी का भूमि अर्जन से जीविकोपार्जन प्रभावित नहीं हो रहा है।
4. समुचित सरकार द्वारा अपनी किसी स्कीम के भूमि सौपी गई है, और इस तरह की भूमि अर्जन के अधीन है। निरंक
5. भूमि अर्जन के पूर्व, शहरी क्षेत्रों की किसी भूमि में पिछले तीन वर्षों या उससे समय से रह रहे है।
निरंक
6. अर्जन से पूर्व भूमि, जो कि पिछले तीन वर्षों से जौविका का प्राथमिक स्त्रोत है। कृषि कार्य किया जाता है।

(ख) परियोजना द्वाय अप्रत्यक्ष रूप से समाघात (स्वयं की भूमि के अर्जन से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं है)

निरंक

(ग) उत्पादक आस्तियों और महत्वपूर्ण भूमियों की तालिका

कृषि के अतिरिक्त और कोई उत्पादन नही रहने के कारण आवश्यक नही है।

सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पार्श्वदृष्य (प्रभावित क्षेत्र और पुनर्वासन स्थल)

(क) परियोजना क्षेत्र में जनसंख्या का साँख्यिकी ब्यौरा

	पुरूष	महिला	कुल
कुल जनसंख्या	176	205	424
बच्चों की संख्या	27	16	43

जातिवार	अ.अ.जा.	अ.जा.	अ.पि.व.	अन्य
जनसंख्या	31	--	--	--

धर्मवार जनसंख्या	हिन्दू	मुस्लिम	सिक्ख	इसाई	अन्य
	31	--	--	350	--

(ख) आय एवं गरीबी स्तर

ग्राम कुम्हारीबेडा में 60 परिवार गरीबी रेखा से नीचे है

1. वृद्धावस्था पेंषनरों की संख्या - 10
2. निराश्रित पेंषनरों की संख्या - 02
3. निरक्षर पुरूष एवं महिलाओं की संख्या - **पुरूष** 100 **महिला** .- 20

(ग) दुर्बल समूह

दुर्बल समूह नहीं है।

(घ) भूमि उपयोग और जीविका

भूमि उपयोग कृषि कार्य के लिए होता है। जीविका कृषि एवं मजदूरी पर आधारित है।

1. **व्यवसाय के प्रकार** - इस ग्राम कुम्हारीबेड़ा में व्यवसाय के विभिन्न प्रकारों तथा उससे जुड़े हुए व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया गया ताकि उसके आधार पर आय अर्जन गतिविधियों का सृजन तथा प्लान किया जा सके जो कि अतिरिक्त एवं वैकल्पिक आय-अर्जन गतिविधि सिद्ध हो सके । दूसरा कि व्यवसाय के प्रकार की जानकारी से उस क्षेत्र की मूल आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में जानकारी हासिल हो सके । सर्वे के अनुसार परियोजना से प्रभावित कुल परिवारों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं मजदूरी है।

(ङ) स्थानीय आर्थिक क्रियाकलाप

कृषि एवं मजदूरी है। इसके अलावा ग्रामिणों द्वारा तेंदुपत्ता का भी संग्रहण किया जाता है।

1. **आर्थिक स्थिति** - इस ग्राम कुम्हारीबेडा में लगभग 80 प्रतिषत लोग आदिवासी है। उनमें बदलाव की संभावनाएं बहुत धीमें गति से होती है, किन्तु आस - पास के गांवों के प्रभाव तथा कई परियोजनाओं के आस - पास में आने के कारण उनमें भी बदलाव आया है, और धीरे धीरे विकास की ओर अग्रसर है और वो भी अब यही चाहते है कि उनका गांव का यथासंभव विकास हो।

   सर्वेक्षण के नतीजों से जानकारी मिली की करीब 95 प्रतिशत घर मिट्टी के बनें है उनके छत में खप्पर डाले गए है बाकी लगभग 05 प्रतिषत घरों का निर्माण ईट एवं ढलाई (पक्के घर)के बने है। प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कार्य एवं रोजगार मुख्यतः कृषि एवं मजदूरी पर आधारित है। इसके अलावा ग्रामिणों द्वारा तेंदुपत्ता का भी संग्रहण किया जाता है। इस ग्राम कुम्हारीबेडा में 60 परिवार गरीबी रेखा से नीचे है। वृद्धावस्था पेंषनरों की संख्या 10 एवं निराश्रित पेंषनरों की संख्या 02 है। गांव के लोग विभिन्न रोजगार जैसे कृषि, मजदूरी एवं तेंदुपत्ता संग्रहण जैसे अर्थिक गतिविधियों में लिप्त है।

(च) कारक, जिनका स्थानीय जीविका में योगदान

कृषि एवं मजदूरी है, भूमि अधिग्रहण उपरांत प्रावधानों के तहत संस्थान अपने उत्तरदायित्व का निवर्हन करेगा।

(छ) नातेदारी क्रम तथा सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन

निरंक

(ज) प्रषासनिक संगठन

है।

(झ) राजनैतिक संगठन

पंजीकृत राजनैतिक संगठन नहीं है।

(ञ) समुदाय - आधारित और सिविल सोसायटी संगठन

नही है।

(ट) क्षेत्रीय सक्रियता और एतिहासिक परिवर्तन प्रक्रियाएं

परियोजना से प्रभावित ग्राम कुम्हारीबेडा़ में किसी भी प्रकार का ऐतिहासिक परिर्वतन परिलक्षित नही होता है। किन्तु सामाजिक एवं शैक्षणिक परिर्वतन हुआ है। जैसे कि ग्राम कुम्हारीबेडा में प्राथमिक स्कुल भवन और कच्ची रोड़ के माध्यम से सीधे नारायणपुर मुख्यालय से संपर्क में है। इस ग्राम कुम्हारीबेडा में आधुनिक सुविधाएं जैसे कि इन्टरनेट, बिजली इत्यादि सुविधाओं से युक्त है।

(ठ) जीवंत पर्यावरण की गुणवत्ता

पर्यावरण की गुणवत्ता जैसे पानी, हवा एवं मृदा की स्थिति सामान्य है। ग्राम कुम्हारीबेडा़ के कुछ भाग में वन एवं वृक्षों की संख्या अत्याधिक है।

लागतों एवं फायदों का विष्लेषण और अर्जन पर सिफारिशें

(क) लोक प्रायोजन का निर्धारण, निम्न विस्थापित अनुकल्प तथा भूमि की न्यूनतम अपेक्षाएं सामाजिक समाघात की प्रकृति और गहनता, शमन के उपायों की व्यवहार्यता और वहां तक जहां के शमन के उपायों का सामाजिक समाघात प्रबंध योजना में वर्णन है, सामाजिक समाघातों के पूर्ण प्रकार और प्रतिकूल सामाजिक लागतों की व्याख्या समाधान, के बारे में अंतिम निष्कर्ष।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम २०१३ के तहत प्रष्नाधीन अर्जन शासन के माध्यम से लोक निर्माण विभाग बड़गांव-धुरबेड़ा-ताड़ोनार से नारायणपुर जिला मुख्यालय तक मार्ग का निर्माण परियोजना अंतर्गत ग्राम कुम्हारीबेडा सड़क निर्माण कार्य को दिया जा रहा है, जो कि पूर्ण रूप से लोक हित बाबत् है। यह सड़क निर्माण हेतु आवष्यक भूमि ही लिया जाना है, प्रभावितों को पुनर्वास की आवश्यकता नही है। जनसुनवाई में सुनवाई पूर्ण की गई है उपस्थित कृषकों द्वारा सहमति व्यक्त की गई है।

(ख) उपरोक्त विष्लेषण नियम में वर्णित साम्य सिद्धांत का अंतिम सिफारिश प्रस्तुत करने पर, कि क्या अर्जन होना चाहिए या नहीं, विश्लेषण की कसौटी के रूप में उपयोग किया जायेगा।

उपरोक्त विष्लेषण के आधार पर भूमि का अर्जन किया जाना लाभदायक है एवं लोक हित में वांछित है।

सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना

१. कमी करने पर दृष्टिकोण :-

यह परियोजना अनु रेखीय अधिग्रहण की श्रेणी के अन्तर्गत आती है, जिसमें भूमि का एक छोटा भाग ही अधिग्रहण किया जाना है। प्रस्तावित ग्राम कुम्हारीबेड़ा के भूमि अधिग्रहण में किसी भी परिवार का पुर्नवासन की आवष्यकता नहीं है। इस तरह सामाजिक समाघात का प्रभाव न्यूनतम रखा गया है।

२. समाघात से बचने, कम करने औप्रतिपूरित करने के उपायः-

परियोजना से प्रभावित ग्राम कुम्हारीबेड़ा एवं आस पास के लोगो की आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु कुटीर उघोग के स्थापन हेतु इच्छुक व्यक्तियों के प्रषिक्षण के लिए प्रावधान एवं महिला सशक्तिकरण के लिए स्वा सहायता समूह का गठन किया जावेगा, जिसमें कि महिला अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार कर सके।

३. उपाय, जो अधिनियम में तथा विनिर्दिष्ट पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन एवं प्रतिकर के निबंधन में सम्मिलित हैः-

अधिनियम में यथा विनिर्दिष्ट पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन एवं प्रतिकर के निबंधन में सम्बन्धित छ. ग. शासन द्वारा निर्देषित सभी उपायों का समावेष सम्बन्धित निकाय द्वारा किया जावेगा।

४. उपाय, जिनमें अपेक्षित निकाय द्वारा कथन कि वह परियोजना के प्रस्ताव में पुनःस्थापन करेगाः-

पर्यावरण संतुलन को बनाये रखने के लिए अपेक्षित निकाय द्वारा वृक्षारोपण कर प्रस्तावित रेल मार्ग के दोनो ओर ग्रीन वेल्ट का निर्माण कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त ग्राम कुम्हारीबेडा

स्ड़क निर्माण से वातावरण को प्रदूषित हाने से बचाने के लिए आवष्यक प्रावधान किया जावेगा।

५. अतिरिक्त उपाय, जिनमें अपेक्षित निकाय द्वारा कथन कि वह सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया और लोक सुनवाई के निष्कर्षो पर प्रतिक्रिया देने के लिए वचनबद्ध होगाः-

सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया और लोक सुनवाई से प्राप्त निष्कर्षो का पालन आवेदक निकाय द्वारा किया जावेगा। सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु आयोजित जनसुनवाई के निम्नलिखित समस्याएँ प्राप्त हुई। समस्यायें एवं उनका निराकरण निम्नानुसार है।

बैठक की कार्यवाही दिन में 11बजै शुरु की गई इस बैठक में प्रभावित खातेदारों एवं सामाजिक समाघात निर्धारण के विषेषज्ञों के अलावा लोक निर्माण विभागसे अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। लोक निर्माण विभाग के अधिकारी द्वारा ग्राम कुम्हारीबेडा सड़क निर्माण परियोजना का वर्णन विस्तारपूर्वक करते हुए मुआवजा निर्धारण करने के बारे में जानकारी दी गई। तत्पश्चात ग्राम ताड़ोनारीणों से अपने विचार इस परियोजना हेतु रखने का अनुरोध किया गया।

सभा के समापती ने ग्रामिणों से कहा कि सामाजिक समाघात हेतु जन सुनवाई रखा गया है जिसमें आपकी समस्या को सुना गया आप लोग समस्त ग्राम ग्राम कुम्हारीबेडा से अनुरोध है कि आप लोग भी लोक निर्माण विभागके कार्य में सहयोग दे इतना कहकर सभा की समाप्ती की।

६. **<u>सामाजिक समाघात प्रबंध योजना में संस्थागत संरचना का वर्णन और प्रत्येक षमन निवारण के लिए उत्तरदायी मुख्य व्यक्ति और समय-सीमा तथा प्रत्येक क्रियाकलाप के लिए लागत सम्मिलित होने चाहिए:-</u>**

आवेदक निकाय द्वारा प्रभावित ग्राम का बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक विकास के लिए स्थानीय प्रशासन के अनुमोदन के अनुसार कार्य किये जायेंगे।
इसके अलावा प्रभावित ग्राम ग्राम कुम्हारीबेडा में ग्राम के समूहिक विकास के लिए स्थानीय प्रशासन के अनुमोदन के अनुसार कार्य किये जायेगें।

श्री दीपक सोनी
यूथ वेलफेयर सोसाइटी रायगढ़
(गैरशासकीय सामाजिक वैज्ञानिक)

श्री सदाराम ठाकुर
सेवा निवृत्त डिप्टी कलेक्टर

सरपंच
ग्राम पंचायत बड़गांव

(स्टाम्प: सरपंच ग्राम पंचायत बड़गांव जनपद पंचायत नारायणपुर)

उपसरपंच
ग्राम पंचायत बड़गांव

(स्टाम्प: उपसरपंच ग्राम पंचायत बड़गांव जनपद पंचायत नारायणपुर (छ.ग.))

तहसीलदार नारायणपुर

श्री बलराम प्रसाद नायक
प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी
लोक निर्माण विभाग भ/स नारायणपुर

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी
नारायणपुर, जिला नारायणपुर (छ.ग.)

दूरभाष (कार्यालय) 07781-252222 E-MailID – sdmnarayanpur@gmail.com

-: पत्र :-

क्रमॉक/575/ अ0वि0अ0(रा0)/प्रवाचक-1/2026 नारायणपुर दिनॉक 06/02/2026

प्रति,

प्रभारी अधिकारी
भू - अभिलेख शाखा
जिला नारायणपुर

विषयः- विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रस्तुत समाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट का मूल्यांकन कर प्राप्त रिपोर्ट का प्रकाशन कराये जाने के संबंध में।

***

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) जिला नारायणपुर (छ.ग.) के आदेश राजस्व आदेश पत्र दिनांक 04.12.2025 द्वारा नारायणपुर जिला अंतर्गत बड़गांव /धूरबेड़ा /ताड़ोनार जिला मुख्यालय सड़क लम्बाई 21.00 कि.मी. निर्माण कार्य हेतु भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 7 के अधीन विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया था। विशेषज्ञ समूह द्वारा **ग्राम कुम्हारीबेड़ा ग्राम पंचायत बड़गांव का** समाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट का मूल्यांकन कर रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

अतएव प्राप्त रिपोर्ट को यथा स्थिति शासन की वेबसाइट में अपलोड किए जाने हेतु पत्र आपकी ओर प्रेषित है।

संलग्न :- मूल्यांकन रिपोर्ट।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)एवं
भू-अर्जन अधिकारी नारायणपुर

पृ.क्रमॉक/576/ अ0वि0अ0(रा0)/प्रवाचक-1/2026 नारायणपुर दिनॉक 06/02/2026

प्रतिलिपि :-

कलेक्टर (भू -अर्जन शाखा) जिला नारायणपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)एवं
भू-अर्जन अधिकारी नारायणपुर

Scanned with OKEN Scanner

ग्राम- कुम्हारीबेडा तहसील -नारायणपुर जिला -नारायणपुर के निजी भूमि अर्जन हेतु विशेषज्ञ समूह की बैठक दिनांक 07-01-2026 का मूल्यांकन प्रतिवेदन

अनुविभागीय अधिकारी नारायणपुर . जिला नारायणपुर के आदेश क्रमांक 3080 / अ.वि.अ. (रा) / प्रवाचक 1/2025 नारायणपुर दिनांक 05.12.2025 द्वारा भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार एवं पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक समाघात सहमति एवं जनसुनवाई) नियम 2016 के तहत ग्राम कुम्हारीबेडा तहसील नारायणपुर जिला नारायणपुर के निजी भूमि अधिग्रहण हेतु पूर्व में गठित सामजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा प्रस्तुत सामजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना के मूल्यांकन हेतु विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है जिसके अनुसरण ग्राम कुम्हारीबेडा के सामजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन हेतु बैठक आहूत की गयी जिसके पालन में आज दिनांक 07.01.2026 को स्थान सभाकक्ष अनुविभागीय अधिकारी नारायणपुर जिला नारायणपुर में विशेषज्ञ समूह के नामांकित सभी सदस्य उपस्थित रहे

ग्राम कुम्हारीबेडा तहसील नारायणपुर जिला नारायणपुर के सामजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा प्रस्तुत सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन एवं राजस्व अभिलेखों आदि के परीक्षण उपरांत मूल्यांकन प्रतिवेदन निम्नानुसार है

ग्राम कुम्हारीबेडा तहसील नारायणपुर जिला नारायणपुर की निजी भूमि कुल रकबा 0.328 हेक्टेयर अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित है जिसमे सड़क का निर्माण किया जाना है
ग्राम कुम्हारीबेडा तहसील नारायणपुर जिला नारायणपुर के अंतर्गत आता है अतः इसमें PESA (पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996) के प्रावधान लागू होते हैं जिसके तहत ग्राम सभा की सहमती आवश्यक होती है कुम्हारीबेडा पंचायत की बैठक दिनांक 11.09.2025 को आयोजित कर ग्रामीणों को योजना की जानकारी दी गयी तथा जन सुनवाई दिनांक 09.10.2025 को ग्राम कुम्हारीबेडा पंचायत भवन ग्राम कुम्हारीबेडा में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की गई प्रस्तावित भू अधिग्रहण हेतु बहुमत से सहमती प्रदान की गयी है जो की पृथक से संलग्न है
प्रस्तावित भू अर्जन में प्रभावित होने वाले कृषकों से सहमती प्राप्त की गयी है 75 प्रतिशत से अधिक कृषकों द्वारा अपनी सहमती लिखित पत्रक पर दी गयी है निर्धारित पत्रक पृथक से संलग्न हैं
प्रकरण में ग्राम के कुल रकबा 0.328 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित है जिसमे कुल 06 खातेदार प्रभावित हो रहे हैं जिसमे से 5 कृषक अनुसूचित जनजाति के हैं 1कृषक अन्य पिछ्ड़ा वर्ग के हैं

प्रस्तावित अधिग्रहण में एक खातेदार का अधिकतम रकबा 0.064 हेक्टेयर है एवं न्यूनतम रकबा 0.013 हेक्टयेर है स्पष्ट है की किसी भी कृषक की अधिग्रहित की जाने वाली भूमि इतनी अधिक नहीं है की उसके जीविकोपार्जन पर परियोजना का विपरीत प्रभाव पड़े प्रस्तावित भूमि में किसी प्रकार का कोई भवन / शेड आदि नहीं है कोई भी शासकीय /सार्वजनिक भवन संरचना प्रभावित नहीं होगी

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्तावित अधिग्रहण में प्रभावितों से अर्जन की जा रही कुल भूमि का रकबा दर्शाने वाला पत्रक संलग्न है जिसके अवलोकन से स्पष्ट है की कृषकों से बहुत कम भूमि ली जा रही है -

ग्राम ताड़ोनार	खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)	विशेषता
ग्राम कुम्हारीबेडा	138	0.049	सड़क निर्माण प्रायोजन हेतु प्रस्तावित
	139	0.051	
	147	0.028	
	123	0.034	
	122	0.034	
	119	0.064	
	151	0.013	
	150	0.055	
	8	**0.328** हेक्टेयर	

प्रस्तावित अधिग्रहण सड़क सम्बन्धी है जिसका स्वरुप रेखीय है (LINEAR) है ऐसे प्रकरणों में भूमि का रकबा कम होता है तथा प्रभावितों की संख्या अधिक होती है

उद्देश्य - प्रस्तावित भू अर्जन कर सड़क का निर्माण होगा जिससे क्षेत्र में आम लोगों के जीवन और समाज के विकास पर प्रत्यक्ष प्रभाव होगा क्षेत्र में यातायात सुगम होगा ,सड़क बनने से लोगों का आवागमन आसान और तेज हो जाएगा । किसान अपनी उपज आसानी से बाजार तक पहुँचा सकेंगे जिससे उनकी आमदनी बढ़ेगी । व्यापार, उद्योग और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच सुगम होगी । इससे समय और ईंधन की बचत होगी और नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे साथ ही आपातकालीन मदद पहुँचाना सरल होगा और राष्ट्रीय सुरक्षा भी मजबूत होगी कुल मिलाकर, सड़कें किसी भी देश या क्षेत्र की आर्थिक रीढ़ और विकास की धुरी मानी जाती हैं।आर्थिक स्थिति में सुधार होगा एवं कृषकों के जीवन स्तर में सुधार आएगा जन सामान्य की सुविधाओं में वृद्धि होगी इस प्रकार प्रस्तावित अधिग्रहण सदभाविक एवं लोक अभियोजन की पूर्ति हेतु आवश्यक है

यह योजना लोक निर्माण विभाग की है जो की शासन का उपक्रम है एवं अधोसंरचना / सड़क निर्माण का कार्य करता है।

सड़क यातायात की सुविधा पूर्व से बेहतर होगी ग्राम वासियों को बाजार / जिला मुख्यालय / राजधानी तक पहुँच सुगम हो जाएगी जिसके फलस्वरूप आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी ग्राम वासियों का सामाजिक शैक्षणिक स्वास्थ्य सुविधाओं का स्तर बेहतर होगा जन सामान्य की सुविधाओं में वृद्धि होगी ग्राम वासियों को परिवहन व्यापार कृषि तथा रोजगार के कार्यों हेतु सुविधा प्राप्त हो सकेगी जिसके फलस्वरूप आर्थिक गतिविधियाँ सुद्रढ होंगी

प्रस्तावित भू अर्जन में प्रभावितों की भूमि बहुत कम अधिग्रहित की जा रही है उन पर परियोजना का विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है न्यूनतम आवश्यक क्षेत्रफल का अधिग्रहण किया जा रहा है जिसके लिए कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है फल स्वरुप इस योजना से होने वाले लाभ हानि की

Scanned with OKEN Scanner

तुलना में अधिक है ये अधिग्रहण सदभाविक एवं लोक अभियोजन की पूर्ति हेतु आवश्यक है प्रभावितों को नियमानुसार प्रतिकार एवं पुनर्व्यस्थापन के प्रावधानों के अनुरूप क्षतिपूर्ति दी जा रही है विभाग ने बतलाया की उनके पास पूर्व से अर्जित की गयी कोई भी अनुपयोगी भूमि नहीं है

उपरोक्त विवेचना के आधार पर विशेषज्ञ समूह इस निष्कर्ष पर पहुँचता है की प्रस्तावित भू अर्जन लोक प्रायोजन हेतु आवश्यक है अर्जन से लाभ अधिक एवं हानि नगण्य है न्यूनतम भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है जो आवश्यक है प्रभावितों को नियमानुसार प्रतिकर एवं पुनर्व्यस्थापन के प्रावधानों के अनुरूप क्षति पूर्ती दी जावेगी

अतः विशेषज्ञ समूह प्रस्तावित अधिग्रहण की अनुशंसा करता है

श्री अशोक कुमार अग्रवाल
अतिरिक्त कलेक्टर से. नि
पुनर्व्यस्थापन विशेषज्ञ

श्री एच आर वैश्य
संयुक्त कलेक्टर से. नि.
पुनर्व्यस्थापन विशेषज्ञ

श्रीमती ऐश्वर्या डबराल
गैर शासकीय सामाजिक वैज्ञानिक

डा मुकेश गोस्वामी
गैर शासकीय सामाजिक वैज्ञानिक

अध्यक्ष
पिंकी उसेंडी
अध्यक्ष जनपद पंचायत
जिला नारायणपुर

उपाध्यक्ष जनपद पंचायत
जिला नारायणपुर

तहसीलदार
छोटे डोंगर

संजय दिवेदी अनुविभागीय अधिकारी
क्रमांक 2 लोक निर्माण विभाग
नारायणपुर

Scanned with OKEN Scanner